तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
5.6.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी सं. 1, 3, 4 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षी सं० 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के हाल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:40 IST
Reason: SelfAttested

त अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

संख्या – 05/23 प्रा.पत्र

ी भंगीलाल दत्तकपुत्र श्री हीरा गुर्जर निवासी घोड़ासीखेड़ा तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

ी जगदीश चन्द्र दत्तकपुत्र घासीराम जाट निवासी घोड़ासीखेड़ा त० मांडल (वगैरा) (संलग्न प्रा.पत्रानुसार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 6.6.24

::आदेश::

ी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के घोड़ासीखेड़ा पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की न0 137 कुल किता 01 रकबा 0.4047 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि क्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.1.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का री है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम घोड़ासीखेड़ा पटवार माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 137 किता 01 रकबा 0.4047 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर गढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

लेपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा